न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **205/2021** दायर दिनाँक **10.08.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. औमप्रकाश पुत्र लिछमणराम 2. भंवराराम पुत्र लिछमणराम 3. प्रेमराज पुत्र लिछमणराम 4. सुखदेव पत्नि औमप्रकाश समस्त जाति मेघवाल निवासी दाउदसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नानुराम पुत्र महादेव राम जाति मेघवाल निवासी निम्बा का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादीगण।
2. श्री कमल कुमार वकील प्रतिवादी सं0 01।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **26.08.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 381 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा सं0 382 रकबा 5.62 हैक्टर कुल 5.63 हैक्टर वाके डाबड़ा स्थित है। खसरा सं0 382 में से समय समय पर अन्य लोगो को बेचाण करने से नये खसरा सं0 भी राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त हो गये है।

यह है कि वादीगण ने खेत खसरा सं0 381, 382 व 1149/382 वाके डाबड़ा में से प्रतिवादी सं0 01 नानुराम से उसके संभावित हिस्से की 08.03 बीघा भूमि जरिये दान पत्र दिनांक 06.03.2019 को खरीद कर मौके पर कब्जा संभाल लिया था, जिस पर आज दिनांक तक वादीगण अबाध रूप से काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। तथा वादीगण के नाम से नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया है।

यह है कि वादीगण ने अपने दान सुदा, कब्जा सुद भूमि का हाल ही में मौखिक बंटवारा कर लिया, जिसके अनुसार खेत खसरा सं0 382 रकबा 2.72 हैक्टर में से पश्चिमी 8.03 बीघा भूमि वादीगण के बंट व कब्जा काश्त में आयी, इस भूमि का वादीगण ने आपस में मौखिक रूप से काफी अर्से पहले बंटवारा कर लिया था, जिसके अनुसार वादी सुखदेव के 2 बीघा, वादी ओमप्रकाश के 2.01 बीघा, वादी भंवराराम के 2.01 बीघा, वादी प्रेमाराम के 2.01 बीघा इस प्रकार पक्षकारान अपने–अपने बंट व कब्जा काश्त के हिस्सो पर अबाध रूप से काबिज है, तथा खसरा सं0 382 की शेष पूर्वी दिशा की भूमि यथावत रहेगी, उससे वादीगण को कोई सरोकार नही है। क्योंकि अन्य खातेदारों ने भी भूमि खरीदकर अपना–अपना बंटवारा कर नये खसरे दर्ज करवा लिये है। जिसके अनुसार खसरा सं0 382 में से [illegible] सं0 1149/382 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा सं0 1148/382 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा [illegible]/1147 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा सं0 1147/382 रकबा 0.24 हैक्टर, [illegible] रकबा 0.8 हैक्टर, नये खसरा सं0 बन गये है तथा खसरा सं0 1149/382 व 381 वादी व अन्य खातेदारों के बंट में आ जाने से वादीगण के बंट में 8.03 बीघा भूमि खसरा सं0 382 में से बंट में आ गयी, उक्त बंटवारा वादीगण ने नजरी नक्शा में दर्शाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.20 15:47:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 नानुराम से जरिये दान पत्र भूमि प्राप्त कर लेने से अपने बंट व कब्जा काश्त की भूमि का प्रत्येक वादी नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार अलग–अलग बंटवारा करवाना चाहते है।

वादी प्रार्थना इस प्रकार है–

यह है कि खेत खसरा सं0 382 रकबा 2.72 हैक्टर का बंटवारा कानूनी रूप से किया जाकर वाद उपरोक्त वर्णितानुसार व वाद के साथ पेश नजरी नक्शानुसार वादी सं0 01 ता 03 के 2.01 बीघा व वादी सं0 04 के 2.0 बीघा भूमि का खाता अलग किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी ने राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद जरिये राजीनाम स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा जरिये राजीनामा स्वीकार कर मौजा डाबड़ा के खेत खसरा सं0 382 रकबा 2.72 हैक्टयर में से पश्चिमी 803 बीघा दान पत्र के जरिये खरीद सुदा भूमि में से वादी ओमप्राकश ने पूर्वी 2.01 बीघा अर्थात 0. 3358 हैक्टयर, वादी ओमप्रकाश के चिपते ही पश्चिम में वादी भंवराराम के बंट में 2.1 बीघा अर्थात 0.3358 हैक्टयर, भंवराराम के चिपते ही पश्चिम में वादी प्रेमराज के बंट में 2.1 बीघा अर्थात 0.3358 हैक्टयर व पश्चिमी 02 बीघा भूमि अर्थात 0.3237 हैक्टयर वादी सुखदेवी के बंट व कब्जे काश्त की भूमि नजरी नक्शा अनुसार घोषित की जाती है तथा शेष खाता यथावत रखा जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **26.08..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.20 15:47:43 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 205/2021 दायर दिनाँक 10.08.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. औमप्रकाश पुत्र लिछमणराम 2. भंवराराम पुत्र लिछमणराम 3. प्रेमराज पुत्र लिछमणराम 4. सुखदेव पत्नि औमप्रकाश समस्त जाति मेघवाल निवासी दाउदसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक 26.08.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा वकील वादीगण व श्री कमल कुमार वकील प्रतिवादी सं0 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा जरिये राजीनामा स्वीकार कर मौजा डाबड़ा के खेत खसरा सं0 382 रकबा 2.72 हैक्टयर में से पश्चिमी 803 बीघा दान पत्र के जरिये खरीद सुदा भूमि में से वादी ओमप्राकश ने पूर्वी 2.01 बीघा अर्थात 0.3358 हैक्टयर, वादी ओमप्रकाश के चिपते ही पश्चिम में वादी भंवराराम के बंट में 2.1 बीघा अर्थात 0.3358 हैक्टयर, भंवराराम के चिपते ही पश्चिम में वादी प्रेमराज के बंट में 2.1 बीघा अर्थात 0.3358 हैक्टयर व पश्चिमी 02 बीघा भूमि अर्थात 0.3237 हैक्टयर वादी सुखदेवी के बंट व कब्जे काश्त की भूमि नजरी नक्शा अनुसार घोषित की जाती है तथा शेष खाता यथावत रखा जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 26.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.20 15:47:43 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner